

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-194 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

DHANANJAY YADAV
S-O YADUNANDAN YADAV, A-P- SANJEEV KUMAR, LODIPUR, PS-
DORIGANJ, SARAN,
9934745645

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04F0425 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04F0425 का फिटनेश दिनांक-19/03/2024 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04F0425	0043-2019	07/04/2024	19/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
31/11/2024	29/01/2024	16/07/2023	05/02/2025	5050

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY KUMAR
Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:06:39 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-195 / परि.

छपरा, दिनांक :-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

AKHTAR ANSARI & MANSUR ANSARI
S-O MUKHTAR ANSARI, AT+PO-BAGHAR, PS-SISWAN, SIWAN-841301,
7250493722

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04J3896 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04J3896 का फिटनेश दिनांक-**13/12/2023** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04J3896	0048-2019	20/05/2024	13/12/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
06/12/2024	10/08/2025	07/12/2024	Not Installed	4500

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:06:55 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-196/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

IMTEYAZ ALI

S-O-HATIM ANSARI, AT-137 GOBHIRAR ANCHAL-RAGHUNATHPUR,

SIWAN- 841226,

9955658343

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR29G4272 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29G4272 का फिटनेश दिनांक-**26/05/2020** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR29G4272	0021-2019	12/02/2024	26/05/2020

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
31/05/2020	14/10/2019	NA	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:07:15 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-197/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

NITU RANI SINGH
W-O-ARJUN BIKRAM SINGH, AT-1213A KAILASH NAGAR COLONY,
MAHEPUR, PATNA,
9661898638

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR29G4511 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29G4511 का फिटनेश दिनांक-06/02/2021 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR29G4511	0050-2019	26/05/2024	06/02/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
31/05/2020	07/02/2020	06/08/2020	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:07:32 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-198 / परि.

छपरा, दिनांक :-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

DHANESH KUMAR SRIVASTAV
S-O-RAVI PRAKASH, AT-CHANAKYAPURI, RAZA BAZAR PO-B V
COLLEGE, PS-SHASTRI NAGAR, PATNA-800001,
9472963944

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR01PE6153 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PE6153 का फिटनेश दिनांक-**10/07/2023** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता	
BR01PE6153	BR-109-SC-2019-60	07/06/2024	10/07/2023	
टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
24/10/2024	03/07/2023	28/06/2023	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:07:49 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-199 / परि.

छपरा, दिनांक :-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

SANJEEV KUMAR

S-O BIRENDRA SINGH, AT+PO-AMNOUR, SARAN-841401,

8521700780

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04M9401 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04M9401 का फिटनेश दिनांक-30/01/2023 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04M9401	BR-109-SC-2018-127	06/05/2023	30/01/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
22/03/2022	26/07/2025	14/07/2024	Not Installed	5000

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY KUMAR
Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:08:07 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-200/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

SANJEET KUMAR
S-O-RAJESHWAR PRASAD, AT-7 MADHUBANI, ANCHAL-AMANPUR,
SARAN-841301,
9931250523

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04N6888 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04N6888 का फिटनेश दिनांक-19/02/2020 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता	
BR04N6888	BR-109-SC-2019-145	29/08/2024	19/02/2020	
टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
23/03/2020	26/02/2019	NA	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY KUMAR Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:08:22 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-201/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

NITA DEVI

W-O RAJEEV KUMAR, AT-SALAR KALA LINE BAZAR SALARKALA
PHULWARIA, MIRGANJ, GOPALGANJ-841423,
8292511609

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR28P0953 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28P0953 का फिटनेश दिनांक-05/09/2024 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR28P0953	BR-109-SC-2019-136	27/08/2024	05/09/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
24/10/2024	10/08/2025	09/08/2025	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY KUMAR
Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:08:38 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-202 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

DHARMENDRA KUMAR VERMA
S-O-KESHAV CHAND PRASAD VERMA, AT- VERMA TRANSPORT
RAJENDRA PATH, CHAPRA ROAD, TOWN THANA, SIWAN-841226,
8013438708

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR29L9955 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29L9955 का फिटनेश दिनांक-15/04/2021 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता	
BR29L9955	BR-109-SC-2019-146	17/09/2024	15/04/2021	
टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
25/05/2021	16/04/2020	04/05/2020	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY KUMAR
Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:08:59 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-203 / परि.

छपरा, दिनांक :-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

RAMJAS RAY

S-O-RAMALAYAK RAY, AT- SURATPUR KOTWA PATTI, NEAR PIPAL TREE , CHAPRA RAMPUR, SARAN-841211,
9704785181

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04PA2595 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04PA2595 का फिटनेश दिनांक-**01/08/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04PA2595	BR-109-SC-2018-206	30/12/2023	01/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
24/06/2025	12/06/2023	19/02/2024	Not Installed	42000

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:09:18 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-204 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

URMILA DEVI
C-O-BASANT DAS, AT-BADAHARA VAKALAKO PURBA, EAST
CHAMPRAN-845438,
9800000000

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR06P9787 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P9787 का फिटनेश दिनांक-09/06/2023 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P9787	BR-109-SC-2018-187	31/05/2023	09/06/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
06/10/2024	05/06/2023	03/02/2024	Not Installed	19500

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY KUMAR
Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:09:34 +05'30'
आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-205 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

BASANT KUMAR MISHRA

S-0-MADAN MISHRA, AT-FATEHPUR, SIWAN-841226,

8545445456

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR29L7302 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29L7302 का फिटनेश दिनांक-16/01/2022 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR29L7302	BR-109-SC-2018-209	04/01/2024	16/01/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
07/10/2020	17/04/2022	03/02/2021	Not Installed	2500

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:09:56 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-206 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

BSRTC

AT-PARIWAHAN BHAWAN, BEERCHAND PATEL PATH, PATNA-800001,
9065777468

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR01PF7590 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PF7590 का फिटनेश दिनांक-**21/12/2017** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PF7590	BR-109-SC-2016-04	14/01/2021	21/12/2017

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
21/09/2024	22/11/2016	NA	Not Installed	39500

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by SANJAY
KUMAR
Date: 2024.09.18 14:10:34
+05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-207 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

BSRTC

AT-PARIWAHAN BHAWAN, BEERCHAND PATEL PATH, PATNA-800001,
9065777468

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR01PF7598 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PF7598 का फिटनेश दिनांक-**21/12/2017** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PF7598	BR-109-SC-2016-15	14/01/2021	21/12/2017

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
21/09/2024	22/11/2016	NA	17/10/2025	28000

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY KUMAR
Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:10:56 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-208 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

B.S.R.T.C

AT-PARIWAHAN BHAWAN, BEERCHAND PATEL PATH, PATNA-800001,
9065777468

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR01PF7601 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PF7601 का फिटनेश दिनांक-**21/12/2017** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PF7601	BR-109-SC-2016-12	14/01/2021	21/12/2017

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
21/09/2024	NA	05/09/2025	10/05/2025	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:11:17 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-209 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

LAL BIHARI SINGH
S-O RAM YASHADA SINGH, AT-JAMANPURA, ANCHAL-
RAGHUNATHPUR SIWAN-841226,

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR29G4446 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29G4446 का फिटनेश दिनांक-**17/08/2012** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR29G4446	BR-109-SC-2016-46	03/02/2021	17/08/2012

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
31/01/2018	NA	NA	Not Installed	17000

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18 14:11:38 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-210/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

DINBANDHU THAKUR
S-O-LT. SITARAM THAKUR, AT-MURLA RAMGHARWA, EAST
CHAMPARAN-845438,
9800000000

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR06P2356 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P2356 का फिटनेश दिनांक-14/06/2023 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P2356	BR-109-SC-2016-50	09/02/2021	14/06/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
11/10/2024	05/06/2023	31/07/2023	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:12:01 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-211/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

PRAVEEN KUMAR

S-O-HIRALAL RAI, AT-DAHIYAWAN, NEAR UMA NATH MANDIR,

CHAPRA, SARAN-841301,

9852622990

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04PA3794 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04PA3794 का फिटनेश दिनांक-**03/07/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04PA3794	BR-109-SC-BUS-2019-19	15/12/2024	03/07/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
11/03/2025	30/03/2023	03/09/2025	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by SANJAY
KUMAR
Date: 2024.09.18 14:12:21
+05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-212/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

WAKIL RAY

S-O-RANGILA RAY, AT-SURATPUR KATWAPATTI RAMPUR, CHAPRA,
SARAN-841211,
8969883561

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04PA4443 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04PA4443 का फिटनेश दिनांक-**07/02/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता	
BR04PA4443	BR-109-SC-BUS-2019-18	15/12/2024	07/02/2024	
टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
28/11/2024	03/05/2022	19/02/2024	Not Installed	16500

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:12:41 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-213 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

KANHAIYA PRASAD

S-O SITARAM PRASAD, AT+PO+PS- BASANTPUR, SIWAN-841226,
8840529629

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR29G4835 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29G4835 का फिटनेश दिनांक-**03/05/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR29G4835	BR-109-SC-BUS-2019-15	15/12/2024	03/05/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
31/12/2023	01/03/2024	29/02/2024	26/03/2025	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by SANJAY
KUMAR
Date: 2024.09.18 14:13:03
+05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-214 / परि.

छपरा, दिनांक :-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

BINOD KUMAR PATHAK
S-O MAKARDHAWAJ PATHAK, AT-BABHANVALIYAA, ANCHAL-
MANJHI, SARAN-841301,
9931575268

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04M3963 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04M3963 का फिटनेश दिनांक-**12/09/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता	
BR04M3963	BR-109-SC-BUS-2019-24	16/12/2024	12/09/2024	
टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
05/09/2024	16/08/2025	04/08/2024	10/09/2025	2500

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by SANJAY
KUMAR
Date: 2024.09.18 14:13:26
+05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-215 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

SINKI SINGH

C-O NITESH SINGH, AT-MATIHANI, NAIN MATIHANI MADHO,
GOPALGANJ-841438,
7909080398

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR28P1906 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28P1906 का फिटनेश दिनांक-28/11/2021 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता	
BR28P1906	BR-109-SC-BUS-2019-26	16/12/2024	28/11/2021	
टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
27/11/2024	25/02/2025	15/11/2022	Not Installed	74000

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:13:48 +05'30'

आयुक्त के सचिव

-सह-

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-216/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

MANOJ KUMAR SINGH

S-O SAHINARAYAN SINGH, AT-PURE CHAPRA, PHULWARI MAKKER,
SARAN-841460,
6201315531

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04PA4019 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04PA4019 का फिटनेश दिनांक-**11/08/2023** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04PA4019	BR-109-SC-BUS-2019-28	17/12/2024	11/08/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
18/10/2024	26/07/2025	25/12/2024	14/12/2025	77000

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by SANJAY
KUMAR
Date: 2024.09.18 14:14:13
+05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-217/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

CHANDRASHEKHAR AZAD SINGH
S-O LALAN SINGH, AT-IMILIA GOPALGANJ-841427,
9801112241

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR28B5247 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28B5247 का फिटनेश दिनांक-05/06/2024 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR28B5247	BR-109-SC-BUS-2019-29	17/12/2024	05/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
30/06/2024	12/05/2024	17/04/2024	29/05/2025	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by SANJAY
KUMAR
Date: 2024.09.18 14:14:36
+05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-218 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

SATYANAND RAY

S-O- LT RAM JANAM RAY, AT-LODIPUR, PO-CHIRAN, PS-DORIGANJ,
SARAN-841301,
9693501418

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04E8413 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04E8413 का फिटनेश दिनांक-**16/03/2022** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04E8413	BR-109-SC-BUS-2019-36	27/12/2024	16/03/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
30/11/2024	19/02/2023	18/02/2023	Not Installed	27500

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:14:58 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-219 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

RAJIV KUMAR

S-O-RAMAKANT YADAV,AT- SELAR KALA LINE BAZAR, GOPALGANJ-

841436,

9955350493

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR28P0833 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28P0833 का फिटनेश दिनांक-**10/09/2022** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR28P0833	BR2020-SC-0020A	05/01/2025	10/09/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
22/11/2024	23/04/2023	02/05/2023	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:15:16 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-220/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

ALOK VERMA

S-O-DHARMENDRA PRASAD VERMA, AT- VERMA TRANSPORT
RAJENDRA PATH, CHAPRA ROAD, TOWN THANA, SIWAN-841226,
9031438633

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR29PA7475 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29PA7475 का फिटनेश दिनांक-**28/11/2021** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR29PA7475	BR2020-SC-0032A	09/01/2025	28/11/2021

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
27/11/2024	19/03/2022	31/01/2024	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:15:35 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-221/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

PRAVIN KUMAR SINGH
S-O-VIJAY SINGH, AT-DATRA PURSAULI, PO+PS-ISHUAPUR, SARAN-
841411,
8340353748

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04G4429 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04G4429 का फिटनेश दिनांक-17/11/2022 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04G4429	BR2020-SC-0071A	20/01/2025	17/11/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
30/09/2024	07/09/2022	08/08/2024	Not Installed	2500

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by SANJAY
KUMAR
Date: 2024.09.18 14:15:53
+05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-222/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

SATYDENDRA MISHRA
S-O- THAKUR MISHRA, AT+PO+PS-MOTIHARI, PURBI CHAMPARAN-
845401,
9771129685

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR05P1661 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05P1661 का फिटनेश दिनांक-**29/09/2023** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05P1661	BR2021-SC-0296A	21/02/2026	29/09/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
30/11/2024	27/09/2022	21/03/2023	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18 14:16:12
+05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-223 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

KRISHNA NANDAN SINGH
S-O SIGHASHAN SINGH, AT-MANZOPUR, ANCHAL-TARAIYA, SARAN-
841301,
9931864425

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04D7541 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04D7541 का फिटनेश दिनांक-04/06/2024 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता	
BR04D7541	BR2021-SC-0328A	24/02/2026	04/06/2024	
टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
30/11/2024	23/03/2025	25/02/2025	28/02/2025	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18 14:16:32
+05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-224 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

ANIL KUMAR SHARMA
S-O SANTBIHARI SHARMA, AT-RAJENDRA PATH, PO+PS-SIWAN-
841226,
8840529629

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR29H5077 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29H5077 का फिटनेश दिनांक-**27/06/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR29H5077	BR2021-SC-0318A	24/02/2026	27/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
30/11/2024	27/06/2024	23/03/2024	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:16:52 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-225 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

RAGHUNATH YADAV

S-O-LAKSHMAN CHOUDHARY, AT-HARKAULI MIRGANJ, GOPALGANJ,
8890000000

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR06P6165 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P6165 का फिटनेश दिनांक-**20/02/2022** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P6165	BR-109-SC-2016-49	05/02/2026	20/02/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
23/04/2022	15/02/2022	14/01/2022	23/08/2025	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

**SANJAY
KUMAR**

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

Digitally signed by SANJAY
KUMAR
Date: 2024.09.18 14:17:13
+05'30'

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-226/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

KAMESHWAR MISHRA

S-O-GULLI MISHRA, AT-ISANGRAMPUR, PO-UARA, MOTIHARI, PURBI
CHAMPARAN-845419,
9431467246

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR05PA2014 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05PA2014 का फिटनेश दिनांक-**18/08/2023** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA2014	BR2021-SC-0404A	01/03/2026	18/08/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
19/11/2024	12/10/2021	08/01/2025	Not Installed	500

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:17:35 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-227/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

PRAVIN KUMAR SINGH

S-O VIJAY SINGH, AT- DATRA PURSAULI, PO-ISWAPUR, SARAN-841301,
9006664471

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04Q3261 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04Q3261 का फिटनेश दिनांक-17/11/2023 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04Q3261	BR-109-SC-2016-21	22/01/2026	17/11/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
01/11/2024	13/03/2025	07/01/2025	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by SANJAY
KUMAR
Date: 2024.09.18 14:17:55
+05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-228 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

ANITA DEVI

W-O-RAGHU NATH CHAODHARY, AT-HARKHAULI PO+PS-MIRGANJ,
GOPALGANJ-841428,
9771889697

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR28A6197 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28A6197 का फिटनेश दिनांक-16/10/2023 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता	
BR28A6197	BR-109-SC-2016-56	09/02/2026	16/10/2023	
टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
30/11/2024	20/09/2023	14/09/2024	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY KUMAR Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:18:15 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-229 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

SHAMBHUNATH SINGH
S-O LT MUSAFIR SINGH, AT-MAGHARI SIWGH, PO-SUGHARI, PS-
BHAGWANPUR, SIWAN-841226,
9835059090

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR29E4681 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29E4681 का फिटनेश दिनांक-**27/03/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता	
BR29E4681	BR2021-SC-0653A	17/03/2026	27/03/2024	
टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
30/11/2024	01/12/2023	03/04/2023	22/03/2025	12500

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by SANJAY
KUMAR
Date: 2024.09.18 14:18:37
+05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-230/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

SWAPNA KUMARI

C-O-SHRIRAM CHOUDHARY , AT-PAKARIYAR LAIN BAZAR, MIRGANJ,

GOPALGANJ-841438,

9934632298

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR29H5021 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29H5021 का फिटनेश दिनांक-01/07/2023 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR29H5021	BR2021-SC-0907A	25/04/2026	01/07/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
31/10/2024	09/08/2022	05/01/2025	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18 14:19:01
+05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-231/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

RAJA MURAD
S-O- VAKIL AHMAD, AT- BATHUAA BAZAR, DHANI CHOWK,
GOPALGANJ-841428,
9939666680

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR29PA5144 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29PA5144 का फिटनेश दिनांक-**21/12/2022** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR29PA5144	BR2021-SC-1380A	19/07/2026	21/12/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
31/10/2024	14/02/2023	09/02/2023	Not Installed	22000

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:19:22 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-232/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

PAPPU KUMAR RAY

S-O PRABHUNATH RAY, AT+PO-SANDHA, PS-MUFFASIL, SARAN-
841301,
7766948021

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04J1649 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04J1649 का फिटनेश दिनांक-**26/03/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04J1649	BR2021-SC-1521A	23/07/2026	26/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
31/10/2024	04/03/2025	07/08/2025	02/01/2025	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:19:44 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-233 / परि.

छपरा, दिनांक :-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

BALVIR SINGH

S-O JAWAHAR SINGH, AT+PO-MATIYARI, GOPALGANJ-841428,
9934035197

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04N6036 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04N6036 का फिटनेश दिनांक-03/09/2024 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04N6036	BR2021-SC-1523A	23/07/2026	03/09/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
25/11/2024	13/03/2025	13/03/2025	31/08/2025	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:20:07 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-234 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

MITHLESH KUMAR

S-O JALESHWAR PD YADAV, AT-DAHIYAWAN TOLA, PS-CHAPRA
TOWN, SARAN-841301,
9835082955

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04E4925 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04E4925 का फिटनेश दिनांक-13/01/2023 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04E4925	BR2021-SC-1773A	15/08/2026	13/01/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
31/10/2024	19/03/2024	05/04/2024	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18 14:20:31
+05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-235 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

SANJAY KUMAR SINGH

S-O KALIKA PRASAD SINGH, AT-SHAKTI NAGAR WEST, PO-SANDHA,
PS-MUFFASIL, SARAN-841301,
7004794022

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04J0827 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04J0827 का फिटनेश दिनांक-**23/02/2023** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04J0827	BR2021-SC-1774A	15/08/2026	23/02/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
31/10/2024	07/11/2024	16/02/2022	Not Installed	19000

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:21:26 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-236 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

ACHHAYALAL CHAUHAN
S-O BHIKKI PRASAD, AT+PO-UCHKAGAON, GOPALGANJ-841438,
9572726909

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR28P2180 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28P2180 का फिटनेश दिनांक-07/06/2024 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR28P2180	BR2021-SC-1806A	20/08/2026	07/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
14/11/2024	19/07/2025	19/07/2025	Not Installed	5000

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY KUMAR
Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:23:23 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-237/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

MRS BEVI DEVI

W-O DHARMENDRA RAM, AT-36, DUMARAHAR BUJURG, ANCHAL-DARAULI, SIWAN-841235,
9199410085

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR29PA0788 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29PA0788 का फिटनेश दिनांक-18/01/2024 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR29PA0788	BR2021-SC-1805A	20/08/2026	18/01/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
14/10/2024	15/07/2025	12/11/2023	Not Installed	18500

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by SANJAY KUMAR

Date: 2024.09.18 14:23:49 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-238 / परि.

छपरा, दिनांक :-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

DHANANJAY SINGH
S-O-MAGOL SINGH, AT-KARASA GHAT, PO-JHAJHWA, PS-
MAHJMADPUR, GOPALGANJ-841423,
9939862230

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR06PA8897 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA8897 का फिटनेश दिनांक-**18/08/2022** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA8897	BR2021-SC-1842A	24/08/2026	18/08/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
07/09/2023	05/02/2023	17/08/2023	Not Installed	19500

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:24:11 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-239 / परि.

छपरा, दिनांक :-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

BHUWAN BHASKAR RAI

S-O DEENA NATH RAI, A-P DAHIWAN TOLA CHAPRA SARAN-841301,
9631694051

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04F5459 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04F5459 का फिटनेश दिनांक-**31/08/2022** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04F5459	BR2021-SC-1945A	02/09/2026	31/08/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
31/08/2024	06/09/2025	20/03/2023	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR
आयुक्त के सचिव

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:24:38 +05'30'

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-240/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

MOHIT KUMAR SINGH

S-O-DHIRAJ SINGH, AT-MATIHANI NAIN, PO-MADHO MATIHANI, PS-MIRGANJ, GOPALGANJ-841438,
9006565564

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR29H5344 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29H5344 का फिटनेश दिनांक-**20/12/2023** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR29H5344	BR2021-SC-1940A	02/09/2026	20/12/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
31/12/2023	12/04/2023	10/10/2023	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18 14:25:00
+05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-241 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

PRAVIN KUMAR SINGH

S-O-VIJAY SINGH, AT-DATRA PURSAULI, PO+PS-ISHUAPUR, SARAN-
841411,
9006664471

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04N9261 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04N9261 का फिटनेश दिनांक-**23/12/2023** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04N9261	BR2021-SC-1991A	10/09/2026	23/12/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
28/09/2024	25/09/2022	26/02/2025	Not Installed	43500

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18 14:25:24
+05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-242 / परि.

छपरा, दिनांक :-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

DHANANJAY SINGH

S-O-MAGAL SINGH, AT- H No-51 KARASA GHAT, GOPALGANJ-841428,
9939862230

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR28L1633 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28L1633 का फिटनेश दिनांक-09/08/2023 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR28L1633	BR2021-SC-2103A	29/09/2026	09/08/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
03/09/2024	23/09/2022	04/01/2024	Not Installed	69430

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:25:48 +05'30'

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-243 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

SUMAN KUMAR RAI

S-O JAI PRAKASH RAI, AT-CHAPRA ABHIMAN PO- SONHAU BHARTHA,
PS-AMNAUR, SARAN-841301,
9334475466

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04J2781 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04J2781 का फिटनेश दिनांक-**25/04/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04J2781	BR2021-SC-2505A	28/10/2026	25/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
30/11/2024	20/04/2024	18/08/2025	24/04/2025	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

**SANJAY
KUMAR**

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:26:13 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-244 / परि.

छपरा, दिनांक :-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

KARUNA KUMARI

D-O NAGINA SINGH, AT-GORAIYA, ANHAL-KUDHANI, MUZAFFARPUR-842001,
9576098518

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR06PC7745 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PC7745 का फिटनेश दिनांक-**29/11/2023** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PC7745	BR2021-SC-3060A	12/08/2026	29/11/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
08/11/2024	06/09/2025	31/08/2025	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:26:39 +05'30'

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-245 / परि.

छपरा, दिनांक :-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

SUBODH YADAV
S-O BHUMI YADAV, AT-BANDEHRA, PASRAHABUNDEHRA,
KHAGARIA-851212,
7903010065

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR06PE7571 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE7571 का फिटनेश दिनांक-**24/07/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE7571	BR2021-SC-3061A	12/08/2026	24/07/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
09/11/2024	21/01/2024	05/12/2024	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by SANJAY
KUMAR
Date: 2024.09.18 14:27:05
+05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-246/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

SMT. SHOBHA DEVI

W-O ABHAY KR SINGH, AT-SAREYA, W NO-5, PO +PS-GOPALGANJ-
841428,
9471041121

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR28P2671 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28P2671 रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR28P2671	BR2021-SC-3070A	12/09/2026	09/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
31/10/2024	14/11/2023	28/10/2024	Not Installed	14500

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY KUMAR Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18 14:27:29 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-247/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

PREM CHAND GUPTA

S-O BHOLA SAH, AT+PO-KRISHNAPALI, PS-DARAULI, SIWAN-841226,
9661844688

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR29D8283 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29D8283 का फिटनेश दिनांक-27/03/2024 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR29D8283	BR2021-SC-3080A	13/12/2026	27/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
31/03/2024	22/03/2024	20/05/2024	22/03/2025	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:27:55 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-248 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

RAJEEV KUMAR

S-O-RAMAYAN YADAV, AT+PO- DEWAPUR, PS-BARAULI, GOPALGANJ-
841428,
9934092068

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR28L9879 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28L9879 का फिटनेश दिनांक-**25/02/2023** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR28L9879	BR2021-SC-3177A	21/12/2026	25/02/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
30/09/2022	25/02/2023	18/01/2025	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:28:20 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-249 / परि.

छपरा, दिनांक :-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

NISHANT KUMAR SINGH
S-O-ANIL PRASAD SINGH, AT-AGUWANI, DUMARIYA, PS-PARBATTA,
KHAGARIA-851212,
7903010065

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR34P1077 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR34P1077 का फिटनेश दिनांक-04/03/2022 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR34P1077	BR2022-SC-0035A	01/05/2027	04/03/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
30/09/2023	23/01/2022	23/01/2024	Not Installed	24500

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:28:47 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-250/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

BABLU RAI

S-O-DEENANATH RAI, AT-PANDEY PUR, PO-DUMARAHAR, PS-GUTHINI, SIWAN-841210,
9955670936

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04G9830 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04G9830 का फिटनेश दिनांक-**13/09/2022** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04G9830	BR2022-SC-0081A	01/09/2027	13/09/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
30/09/2024	08/07/2023	07/07/2023	Not Installed	33750

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:29:13 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-251/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

JAYDA KHATUN
S-O-LATE NAQUIDDIN KHAN, AT-GURDAHA KHURD, PO+PS-MANJHI,
SARAN-841313,
9576439544

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04J9703 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04J9703 का फिटनेश दिनांक-**10/10/2022** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता	
BR04J9703	BR2022-SC-0466A	03/02/2027	10/10/2022	
टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
04/12/2022	13/08/2022	01/06/2022	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:29:54 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-252 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

JEETENDRA SINGH

S-O-MANSHI SINGH, AT-HEKAM, PO+PS-EKMA, SARAN-841301,
9430082464

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR04M6014 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04M6014 का फिटनेश दिनांक-**09/01/2023** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04M6014	BR2022-SC-0524A	03/08/2027	09/01/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
29/10/2024	15/09/2022	26/08/2022	Not Installed	10500

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:30:21 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-253 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

DHANANJAY SINGH

S-O MOGAL SINGH, AT-KASARGHAT, PO-JHAJHURA, GOPALGANJ-
841301,
9939862230

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04J4425 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04J4425 का फिटनेश दिनांक-09/01/2023 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता	
BR04J4425	BR2022-SC-0935A	26/04/2027	09/01/2023	
टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
02/10/2024	03/06/2025	07/09/2024	22/03/2025	12500

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:30:54 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-254 / परि.

छपरा, दिनांक :-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

GIRJA DEVI

W-O- DHANANJAY SINGH, A-P- PREM KUMAR RAI, DAHIYAWAN
TOLA, PO-CHAPRA, PS-TOWN CHAPRA, SARAN-841301,
9939862230

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04M9595 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04M9595 का फिटनेश दिनांक-08/09/2022 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04M9595	BR2022-SC-0933A	26/04/2027	08/09/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
17/09/2022	04/12/2021	26/03/2022	Not Installed	165520

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:31:19 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-255 / परि.

छपरा, दिनांक :-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

BINAY KR CHAUBEY

S-O BISHNU CHAUBEY, AT-MANANPUR, PS-GOVINDGANJ, MOTIHARI,
PURBI CHAMPARAN-845401,
9673915116

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR05AP1202 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05AP1202 का फिटनेश दिनांक-**30/11/2023** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05AP1202	BR2022-SC-0936A	26/04/2027	30/11/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
30/09/2024	08/11/2023	07/10/2024	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:31:47 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-256 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

ABHISHEK KUMAR

S-O- HARESH KUMAR THAKUR, AT-MURA, PO-TARWAR, PS-AMNAUR,
SARAN-841419,
9006294254

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR06P4407 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4407 का फिटनेश दिनांक-**21/10/2023** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P4407	BR2022-SC-0955A	27/04/2027	21/10/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
05/11/2024	10/10/2023	04/08/2024	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:32:14 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-257/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

DHIRAJ KUMAR RAY
S-O MANKESHW RAY, AT-DUMARHAR KHURD PO-DUMARHAR
KHURD SIWAN-841226,
8210836182

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR29P9935 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29P9935 का फिटनेश दिनांक-02/02/2024 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता	
BR29P9935	BR2022-SC-1035A	28/04/2027	02/02/2024	
टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
15/11/2024	07/08/2025	12/09/2025	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18 14:32:43 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-258 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

MANOJ KUMAR SINGH
S-O-PARMESHWAR NATH SINGH, AT-SHRPAL BASANT, PO-BASANT
CHAPRA, SARAN-841301,
8804074828

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04G9271 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04G9271 का फिटनेश दिनांक-04/10/2022 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता	
BR04G9271	BR2022-SC-1037A	29/04/2027	04/10/2022	
टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
30/09/2024	24/02/2022	09/09/2023	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:33:09 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-259 / परि.

छपरा, दिनांक :-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

SAMI AJAZ AHMAD

S-O IMMAUDDIN AHMAD, AT-MIRALIPUR, PO-GOPALGANJ THAWE,

GOPALGANJ-841440,

9155063867

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR28G3541 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28G3541 का फिटनेश दिनांक-**27/07/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR28G3541	BR2022-SC-1085A	05/04/2027	27/07/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
09/09/2024	18/08/2024	20/07/2024	Not Installed	2600

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:33:34 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-260/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

AWADHESH PRASAD

S-O BASHISHTHA PRASAD, AT-BISHUNPUR, MAHUWARI DEORIA,
MAHARAJGANJ, SIWAN-841238,
9334034196

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR29M7375 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29M7375 का फिटनेश दिनांक-**12/07/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR29M7375	BR2022-SC-1136A	18/05/2027	12/07/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
03/09/2024	05/05/2025	15/11/2024	10/07/2025	26500

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18 14:34:00
+05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-261/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

MD PRAVEJ ALAM

S-O MD AMIN ANSARI, AT-SADAWA, PS-SIDHWALIA, GOPALGANJ-
841428,
9801850300

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR28B2627 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28B2627 का फिटनेश दिनांक-01/02/2024 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता	
BR28B2627	BR-109-SC-2016-35	27/01/2026	01/02/2024	
टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
31/10/2024	24/03/2025	06/12/2024	09/01/2025	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by SANJAY
KUMAR
Date: 2024.09.18 14:34:27
+05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-262 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

KISHORE PD GUPTA

S-O-KANHAIYA PD GUPTA, AT+PO-MANUPUR, PS-DIGHWARA, SARAN-841301,

7732986493

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04J9686 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04J9686 का फिटनेश दिनांक-**30/03/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04J9686	BR2022-SC-1401A	21/06/2027	30/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
11/09/2024	30/08/2023	26/02/2024	12/03/2025	4500

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:34:56 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-263 / परि.

छपरा, दिनांक :-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

SHARDA DEVI

W-O VINOD KUMAR SHARMA, AT- H. NO-425, CHATIYA, PO-
CHATIYAHARSIDHI, EAST CHAMPARAN-845401,
7903010065

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR06PA2271 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA2271 का फिटनेश दिनांक-**22/06/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA2271	BR2022-SC-1403A	21/06/2027	22/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
06/11/2024	28/05/2024	03/04/2025	22/06/2025	2000

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:35:25 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-264 / परि.

छपरा, दिनांक :-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

TARIQUE ANWAR
S-O KHURSHID ALAM, AT- W NO-19, BANGRA SUGAULI PURBI
CHAMPARAN-845456,
8809454002

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR06PE7330 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PE7330 का फिटनेश दिनांक-**30/01/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PE7330	BR2022-SC-1397A	21/06/2027	30/01/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
15/07/2023	24/07/2025	25/07/2025	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY KUMAR
Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:35:51 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-265 / परि.

छपरा, दिनांक :-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

NISHANT KUMAR SINGH
S-O- ANIL PRASAD SINGH AT-JAIL ROAD, TILKA MANJHI,
BHAGALPUR-812002,
7903010065

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR10PA2535 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR10PA2535 का फिटनेश दिनांक-**23/09/2023** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR10PA2535	BR2022-SC-1410A	22/06/2027	23/09/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
03/09/2023	22/09/2023	21/07/2024	Not Installed	32000

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:36:19 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-266 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

AKHILESHWAR RAY
S-O-LATE KAPIL RAY, AT-PACHIM TOLA THEPAH PO-THEPAHA
BAZAR, PS-ZIRADEI, SIWAN-841226,
9973915196

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR29G4107 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29G4107 का फिटनेश दिनांक-15/03/2024 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता	
BR29G4107	BR2022-SC-1412A	22/06/2027	15/03/2024	
टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
31/10/2024	10/02/2022	04/02/2025	Not Installed	10500

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by SANJAY KUMAR

Date: 2024.09.18 14:36:49 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-267 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

SANTOSH KUMAR SINGH
S-O BRAHMADEV SINGH, AT- HEKAM EKMA SARAN-841208,
9973163906

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR04PA4562 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04PA4562 का फिटनेश दिनांक-**09/01/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04PA4562	BR2022-SC-1423A	23/06/2027	09/01/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
27/11/2024	05/12/2023	23/12/2022	Not Installed	24200

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:37:24 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-268 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

PUSHPENDRA RAY

S-O-BHARAT RAY, AT-DUMARAHAR BUJURH, ANCHAL-DARAULI,

SIWAN-841235,

9955876190

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR29K5580 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29K5580 का फिटनेश दिनांक-**28/09/2022** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR29K5580	BR2022-SC-1422A	23/06/2027	28/09/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
24/11/2024	27/09/2022	10/11/2022	Not Installed	32750

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:37:50 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-269 / परि.

छपरा, दिनांक :-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

ACHCHHE LAL YADAV
S-O-RAMAKANT YADAV, AT-LAKHANA KHAS JAGARNATHA,
UCHKAGAON, GOPALGANJ-841438,
9955876190

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR01PJ8252 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PJ8252 का फिटनेश दिनांक-06/04/2024 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PJ8252	BR2022-SC-1839A	23/08/2027	06/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
22/10/2024	15/03/2023	24/03/2023	Not Installed	44250

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:38:17 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-270/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

SUMAN KUMAR SINGH
C-O BASHISHTH NARAYAN SINGH, AT+PO-SEMARI, PS-MASHRAKH,
SARAN-841421,
8210317454

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04J2329 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04J2329 का फिटनेश दिनांक-**20/06/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04J2329	BR2022-SC-1849A	23/08/2027	20/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
31/10/2024	18/06/2025	14/11/2024	13/06/2025	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY KUMAR Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:38:44 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-271/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

NISHANT KUMAR SINGH
S-O-ANIL KUMAR SINGH, AT-SURKHIKAL BHATTA ROAD, TILKA
MANJHI, BHAGALPUR-812001,
7766865601

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR10P8628 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR10P8628 का फिटनेश दिनांक-**12/06/2023** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR10P8628	BR2022-SC-1871A	29/08/2027	12/06/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
01/11/2024	05/06/2023	11/06/2023	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18 14:39:09
+05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-272/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

HARIDAYA SINGH

S-O-RAMJIT RAY, AT- PURANORADHAPALI, SIWAN-841226,
8210836182

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR06P5730 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5730 का फिटनेश दिनांक-27/03/2023 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P5730	BR2022-SC-2197A	09/10/2027	27/03/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
03/09/2024	29/08/2023	01/09/2023	Not Installed	26500

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:39:34 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-273 / परि.

छपरा, दिनांक :-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

SHRIMANJEE RAY
RAJENDRA PD RAY, AT-ITOUR PO-KUMHAILA, PS-CHAR POKHARI,
BHOJPUR-842223,
8210836182

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR06PA7227 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA7227 का फिटनेश दिनांक-**23/03/2023** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA7227	BR2022-SC-2198A	09/10/2027	23/03/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
02/05/2023	15/11/2023	05/12/2023	Not Installed	5000

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY KUMAR
Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:40:03 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-274 / परि.

छपरा, दिनांक :-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

HIRAMAN SAHANI
S-O JIUT SAHANI, AT-SHITALPUR, W. NO-01, SUGAULI, PURBI
CHAMPARAN-845456,
8809454002

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR05PB8111 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05PB8111 का फिटनेश दिनांक-**30/05/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PB8111	BR2022-SC-2226A	10/10/2027	30/05/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
21/05/2023	01/05/2024	30/01/2024	Not Installed	142950

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:40:33 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-275 / परि.

छपरा, दिनांक :-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

TULSI SAHANI
C-O ADALAT SAHANI, AT-186, TELUA JAGDISHPUR PASHCHIM
CHAMPARAN-845459,
8809454002

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR06PF1722 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PF1722 का फिटनेश दिनांक-**04/07/2023** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PF1722	BR2022-SC-2225A	10/10/2027	04/07/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
27/09/2022	27/06/2025	15/07/2022	Not Installed	69500

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by SANJAY
KUMAR
Date: 2024.09.18 14:41:01
+05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-276/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

SAVARUN NESHA

W-O-DAROGA, AT-CHAKIYA, SIWAN-841226,

9955947231

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR28E6876 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28E6876 का फिटनेश दिनांक-01/02/2023 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR28E6876	BR2022-SC-2223A	10/10/2027	01/02/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
08/02/2025	27/07/2022	18/03/2025	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY KUMAR Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:41:29 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-277/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

MRS SHWETA KUMARI
W-O NISHANT KUMAR SINGH, AT-BASWARAPATAURA, EAST
CHAMPARAN, PURBI CHAMPARAN-845401,
7903010065

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR06PF3123 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PF3123 का फिटनेश दिनांक-18/01/2024 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता	
BR06PF3123	BR2022-SC-2277A	14/10/2027	18/01/2024	
टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
25/11/2024	25/11/2024	03/09/2025	02/09/2026	5500

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:42:03 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-278 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

RUBI KUMARI

C-O-DHANESHWAR SHUKLA, AT-HARAKHUWA , PO+PS-GOPALGANJ-
841428,
6203017283

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR28P3263 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28P3263 का फिटनेश दिनांक-**07/06/2023** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता	
BR28P3263	BR2022-SC-2281A	14/10/2027	07/06/2023	
टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
01/05/2023	01/06/2023	05/06/2023	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by SANJAY
KUMAR
Date: 2024.09.18 14:42:40
+05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-279 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

ARUN KR SINGH

S-O BISHWANATH SINGH, AT-SARAIYA, LALGANJ, VAISHALI-844101,
8900000340

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR06PD0251 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD0251 का फिटनेश दिनांक-**02/02/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PD0251	BR2022-SC-2288A	16/10/2027	02/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
03/06/2024	01/10/2024	03/10/2024	Not Installed	20000

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:43:08 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-280/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

ARUN KR SINGH

S-O BISHWANATH SINGH, AT-SARAIYA, LALGANJ, VAISHALI-842001,

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR06PD3351 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD3351 का फिटनेस दिनांक-17/03/2023 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेस के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेस की वैधता
BR06PD3351	BR2022-SC-2289A	16/10/2027	17/03/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
22/06/2024	19/12/2024	19/07/2023	Not Installed	95500

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:43:35 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-281/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

HARENDRA PD CHAURSIYA
S-O-RAMASHISH PD CHAURSIYA, AT-GAYAGHAT, ANCHAL-
HASANPURA, SIWAN-841226,
8210836182

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04Q1078 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04Q1078 का फिटनेश दिनांक-05/06/2024 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04Q1078	BR2022-SC-2569A	05/12/2027	05/06/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
03/12/2024	28/05/2023	08/06/2023	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:44:02 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-282 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

RITUL KUMAR

S-O-RAJENDRA GIRI, AT- SAWRFJI TOLA SAUREN, HARNWAH,

GOPALGANJ-841428,

9955876190

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR28P2198 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28P2198 का फिटनेश दिनांक-**11/03/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR28P2198	BR2022-SC-2607A	09/12/2027	11/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
23/11/2024	12/02/2023	11/10/2024	Not Installed	22000

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18 14:44:31
+05'30'

SANJAY KUMAR

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-283 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

VINOD KUMAR RAY

S-O-VASRPAN RAI, AT-H NO-23 GHEGHTA, PS-CHAPRA MUFFASIL,
SARAN-841301,
8210836182

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04F6994 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04F6994 का फिटनेश दिनांक-03/07/2023 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04F6994	BR2022-SC-2622A	12/12/2027	03/07/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
30/11/2024	10/06/2023	27/02/2024	Not Installed	25000

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:45:00 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-284 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

INIT KUAMR
S-O-MUNNA PRASAD, AT- HARKHAULI MAUJE, PO+PS-MIRGANJ,
GOPALGANJ-841438,
9931478177

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR28C7013 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28C7013 का फिटनेश दिनांक-**10/07/2023** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता	
BR28C7013	BR2022-SC-2630A	13/12/2027	10/07/2023	
टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
07/11/2024	07/05/2023	29/06/2023	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by SANJAY
KUMAR
Date: 2024.09.18 14:45:28
+05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-285 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

SHATRUDHAN PD YADAV
S-O MAHANTH CHAUDHARY, AT-BADHEYA TOLA, AUDANPATTI PO-
BARHEA, PS-MIRGANJ, GOPALGANJ-841436,
9939939395

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR28P1956 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28P1956 का फिटनेश दिनांक-16/12/2022 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR28P1956	BR2022-SC-2677A	20/12/2027	16/12/2022

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
15/10/2024	16/04/2025	15/06/2024	Not Installed	36000

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:45:55 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-286 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

VINOD KUMAR PATHAK
S-O MAKARDHWAJ PATHAK, AT+PO-DHARAMPURA, PS-DAUDPUR,
SARAN-841301,
8210836182

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR04G8527 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04G8527 का फिटनेश दिनांक-**29/08/2023** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04G8527	BR2022-SC-2684A	21/12/2027	29/08/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
30/11/2024	17/06/2025	04/08/2024	Not Installed	9000

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:46:23 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-287/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

NAGENDRA RAI

S-O-KASHI RAI, AT- DORAPUR, DONRAPUR SISWANIA, GOPALGANJ-

841436,

8210836182

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR28P2763 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28P2763 का फिटनेश दिनांक-**28/02/2023** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR28P2763	BR2022-SC-2688A	21/12/2027	28/02/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
25/08/2024	25/02/2023	26/08/2023	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:46:53 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-288 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

ARVIND KUMAR JAISWAL
S-O RAJENDRA PD JAISWAL, AT-YARPUR KHAGAUL ROAD, PATNA-
801105,
8210836182

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR1AP3868 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR1AP3868 का फिटनेश दिनांक-**11/12/2023** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता	
BR1AP3868	BR2023-SC-0240A	15/01/2028	11/12/2023	
टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
19/10/2024	28/10/2023	26/01/2024	22/11/2024	14000

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:47:22 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-289 / परि.

छपरा, दिनांक :-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

BHOLA SAH

S-O LT RAMDHARI SAH, AT-KRISHNAPURI, DARAULI, SIWAN-841226,
9661844688

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR29L2314 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29L2314 का फिटनेश दिनांक-**27/03/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR29L2314	BR2023-SC-0236A	15/01/2028	27/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
14/04/2024	22/03/2024	15/01/2025	19/02/2025	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18 14:47:52
+05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-290/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

SADDAM HUSAIN & AKHTAR ANSARI
S-0-MANSUR ANSARI & MUKTAR ALI, AT+PO-BHAGAR, PS-SISWAN,
SIWAN-841210,
7739012156

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR29N6196 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29N6196 का फिटनेश दिनांक-**26/04/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR29N6196	BR2023-SC-0238A	15/01/2028	26/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
19/09/2024	18/03/2022	26/12/2024	25/04/2025	10000

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:48:23 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-291 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

PREMCHAND GUPTA

S-O BHOLA SAH, AT+PO-KRISHNAPALI, PS-DARAULI, SIWAN-841226,
9661844688

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR29PA7950 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29PA7950 का फिटनेश दिनांक-**27/03/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR29PA7950	BR2023-SC-0235A	15/01/2028	27/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
31/03/2024	20/03/2024	20/05/2024	22/03/2025	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

Digitally signed by SANJAY
KUMAR
Date: 2024.09.18 14:48:56
+05'30'

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-292 / परि.

छपरा, दिनांक :-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

SADDAM HUSAIN & AKHTAR ANSARI
AT+PO-BHAGAR, PS-SISWAN, SIWAN-841210,
8210836182

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04G9382 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04G9382 का फिटनेश दिनांक-15/12/2023 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04G9382	BR2023-SC-0327A	23/01/2028	15/12/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
31/10/2024	10/08/2025	05/01/2025	Not Installed	2500

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:49:30 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-293 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

PRAMATMA SINGH

S-O-LT WAKIL SINGH, AT-KAURIYA TOLA, MALMALIYA BASANTPUR,
BHAGWANPUR HAT, SIWAN-841406,
8210836182

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR29G4149 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29G4149 का फिटनेश दिनांक-**13/09/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR29G4149	BR2023-SC-0324A	23/01/2028	13/09/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
31/10/2024	13/04/2022	09/08/2024	03/09/2025	2500

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:50:05 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-294 / परि.

छपरा, दिनांक :-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

RANI DEVI
C-O HARISHANKAR PANDEY, AT-PARSAGARH, PO-PARSAGARH
BAZAR, PS-EKMA, CHAPRA SARAN-841220,
9955876190

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR29PA1959 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29PA1959 का फिटनेश दिनांक-**07/02/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR29PA1959	BR2023-SC-0556A	22/02/2028	07/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
12/10/2024	30/12/2024	16/02/2025	Not Installed	7000

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:50:36 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-295 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

JAI PRAKASH SINGH
S-O RAJADHARI SINGH, AT-PADARAUNA, PO+PS-BADAHARIYA,
SIWAN-841232,
9801850300

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR29K9951 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29K9951 का फिटनेश दिनांक-**23/08/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR29K9951	BR-109-SC-2018-56	05/03/2028	23/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
27/11/2024	15/08/2025	18/12/2024	04/06/2025	17000

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:51:09 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-296 / परि.

छपरा, दिनांक :-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

PRABINDRA KR SINGH
S-O VIJAY SINGH, AT+PO- DATRA PARSAULI, PS-ISUAPUR, SARAN-
841301,
9006664471

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04M9629 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04M9629 का फिटनेश दिनांक-**26/03/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04M9629	BR-109-SC-2018-79	14/03/2028	26/03/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
25/10/2024	14/03/2024	28/02/2025	19/03/2025	43060

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:51:44 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-297 / परि.

छपरा, दिनांक :-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

SUMAN KUMAR SINGH
C-O BASHISHTH NARAYAN SINGH, AT+PO-SEMARI, PS-MASHRAKH,
SARAN-841421,
9006708709

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR01PC4568 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PC4568 का फिटनेश दिनांक-**05/02/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PC4568	BR2023-SC-1650A	07/06/2028	05/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
05/11/2024	19/01/2024	17/01/2024	24/01/2025	15000

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:52:18 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-298 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

BHUVAN BHASKAR RAI
S-O DINANATH RAI, AT- PANDEPAR, PO-DUMRAHAR, PS-GUTHANI,
SIWAN-841226,
9631694051

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04J3911 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04J3911 का फिटनेश दिनांक-05/06/2023 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता	
BR04J3911	BR2023-SC-1647A	07/06/2028	05/06/2023	
टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
12/09/2024	15/07/2024	29/05/2023	Not Installed	25000

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:52:51 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-299 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

RAJU KUMAR

S-O GAMA YADAV, AT-SINSINIYA KACHNAR,PS-SISWAN, SIWAN-
841210,
9122449077

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR04N5561 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04N5561 का फिटनेश दिनांक-**29/02/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04N5561	BR2023-SC-1685A	08/06/2028	29/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
07/11/2024	01/03/2025	09/01/2024	02/01/2025	25500

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:53:24 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-300/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

PIYUSH KUMAR SINGH

S-O LT SHAMBHU PRASAD SINGH, AT+PO-KISHUNPALI, PS-DARAULI,
SIWAN-841234,
9771405151

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR05PA2206 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05PA2206 का फिटनेश दिनांक-**11/07/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR05PA2206	BR2023-SC-1672A	08/06/2028	11/07/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
19/10/2024	09/03/2025	31/07/2024	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:53:58 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-301/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

RAJ KUMAR YADAV
S-O SHIV BALAK YADAV, AT+PO- DHARAM PARSA, PS-MANJHI,
GOPALGANJ-841427,
9801850300

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR29PA9842 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29PA9842 का फिटनेश दिनांक-17/04/2024 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR29PA9842	BR2023-SC-1774A	22/06/2028	17/04/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
24/09/2024	15/07/2025	13/09/2024	08/07/2025	7000

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:54:32 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-302/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

SUNIL KUMAR RAY
S-O-BASUDEB RAY, AT-LODIPUR CHIRAND, PO-CHIRAND, PS-
DIRIGANJ, SARAN-841301,
9122449077

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04J7302 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04J7302 का फिटनेश दिनांक-**13/06/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता	
BR04J7302	BR2023-SC-2035A	11/07/2028	13/06/2024	
टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
17/10/2024	20/01/2020	16/02/2025	11/06/2025	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:55:06 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-303 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

PRABHAKER PANDEY

S-O PANCHANAND PANDAY, AT- H. NO-297 AT-DUMARIA, ANCHAL-SANGRAMPUR, MOTIHARI, PURBI CHAMPARAN-845423,
9264409501

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR05P3993 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05P3993 का फिटनेश दिनांक-**29/05/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता	
BR05P3993	BR2023-SC-2213A	03/08/2028	29/05/2024	
टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
18/11/2024	03/01/2024	29/03/2025	03/04/2025	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:55:40 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-304 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

PIYUSH KUMAR SINGH

S-O SHAMBHU PD SINGH, AT-KISHUNPALI, SIWAN-841234,

9122449077

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR01PD0934 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PD0934 का फिटनेश दिनांक-**24/09/2023** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PD0934	BR2023-SC-2446A	01/09/2028	24/09/2023

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
12/09/2024	23/02/2025	12/02/2025	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:56:13 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-305 / परि.

छपरा, दिनांक :-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

TARKESHWAR TIWARI
S-O LT SHAILENDRA NARAYAN TIWARI, AT-GUDRI RAI CHOWK,
BHAGWAN BAZAR, CHAPRA SARAN-841301,
8271060148

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04PA6403 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04PA6403 का फिटनेश दिनांक-**26/08/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04PA6403	BR2023-SC-2629A	14/09/2028	26/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
11/11/2024	11/08/2025	19/02/2025	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:56:47 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-306 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

MADHUSUDAN DUBEY

S-O VINDHYACHAL DUBEY, AT- DAKHINAHAI BANKATI, GOPALGANJ-
841427,
9122449077

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR28G5302 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28G5302 का फिटनेश दिनांक-**17/07/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता	
BR28G5302	BR2023-SC-2982A	16/10/2028	17/07/2024	
टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
10/12/2024	14/07/2024	10/10/2023	07/07/2025	12500

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18 14:57:23 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-307/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

AJIT KUMAR SINGH
S-O HRIDAYA SINGH, AT-PURAINA, PO-RACHHOPALI, PS-
BHADHRAYA, SIWAN-841427,
7488739170

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR31P0459 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR31P0459 का फिटनेश दिनांक- BR31P0459 का तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR31P0459	BR2023-SC-3446A	13/12/2028	26/07/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
22/11/2024	23/01/2024	13/09/2024	26/07/2025	5500

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:58:00 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-308 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

VICKEY KUMAR

S-O PRABHUNATH RAY, AT+PO-SANDHA, PS-MUFFASIL, SARAN-
841301,
8102969196

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04G9674 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04G9674 का फिटनेश दिनांक-**29/02/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR04G9674	BR2023-SC-3470A	14/12/2028	29/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
15/11/2024	13/02/2025	19/12/2024	04/01/2025	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18 14:58:34
+05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-309 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

RAJHANS TIWARI

S-O KEDAR NATH TIWARI, AT-SHRIKARPUR, PO-GHUTNI, SIWAN-
841435,
9570029275

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR29PA2926का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04F0425 का फिटनेश दिनांक-15/07/2024 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR29PA2926	BR2023-SC-3497A	18/12/2028	15/07/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
29/09/2024	15/05/2025	23/07/2025	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:59:10 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-310/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

GAUTAM KUMAR GUPTA

S-O KISHOR PRASAD GUPTA, AT-MAUNA MOHAN NAGAR, EAST OF
BRAHMAN SCHOOL, CHAPRA, SARAN-841301,
7732986493

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR03PA6447 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR03PA6447 का फिटनेश दिनांक-07/07/2024 तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता	
BR03PA6447	BR2023-SC-3555A	22/12/2028	07/07/2024	
टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
15/09/2024	19/02/2025	19/07/2024	Not Installed	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY KUMAR
Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:59:45 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-311/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

SUMANTA KUMAR RAY
S-O JAY PRAKASH RAY, AT-CHAPRA BHIMAN BHATHA, AMNOUR,
SARAN-841460,
9122449077

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR01PD9454 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PD9454 का फिटनेश दिनांक-**05/02/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR01PD9454	BR2023-SC-3599A	29/12/2028	05/02/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
14/09/2024	23/06/2024	12/01/2025	24/01/2025	14000

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18 15:00:21
+05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-312/परि.

छपरा, दिनांक :-18/09/2024

प्रेषित,

SUMAN KUMAR SINGH
S-O BASHISHT NARAYAN SINGH, AT-SEMRIPO, PO-SEMRI, PS-
MASRAKH, SARAN-841421,
9006708709

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR06PA7171 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PA7171 का फिटनेश दिनांक-**19/07/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06PA7171	BR2024-SC-0792A	19/04/2029	19/07/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.C की वैधता	V.L.T.D की वैधता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
28/04/2025	12/12/2024	20/06/2024	26/06/2025	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18 15:00:57
+05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-313 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

ANIL YADAV

S-O BHIKHU YADAV, AT-NEAR MAIN ROAD DHARAM PARTA PS-
MANJHAGHADH, GOPALGANJ-841427,
7061516783

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR06P2430 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P2430 का फिटनेश दिनांक-**24/08/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR06P2430	BR2024-SC-0830A	25/04/2029	24/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
31/10/2024	02/08/2025	15/08/2024	27/08/2025	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
15:01:33 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-314 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

MANOJ KUMAR
S-O CHANDRA BHUSHAN SINGH, AT+PO+PS-PAHARPUR EAST
CHAMPARAN-845458,
9709604820

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR05P5891 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05P5891 का फिटनेश दिनांक-**08/08/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता	
BR05P5891	BR2024-SC-1398A	04/08/2029	08/08/2024	
टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
20/11/2024	09/06/2025	28/01/2025	07/08/2025	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
15:02:11 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :-315 /परि.

छपरा, दिनांक :-18 /09 /2024

प्रेषित,

HARINDAR YADAV

S-O NAUBAT RAY, AT+PO-MUSTAFABAD, PS-GOREYA KOTHI, SIWAN-
841439,
7389308624

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR28P3185 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28P3185 का फिटनेश दिनांक-**10/08/2024** तक ही वैध होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84(क) का उल्लंघन है। बिना फिटनेश के वाहन का परिचालन करना यात्रियों के जान को जोखिम में डालना है। आपके वाहन के कागजातों की वैधता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	फिटनेश की वैधता
BR28P3185	BR2024-SC-1455A	07/08/2029	10/08/2024

टैक्स की वैधता	बीमा की वैधता	P.U.C.Cकी वैधता	V.L.T.Dकी वैधता	पूर्व से लंबित जुर्माना
19/11/2024	09/11/2024	18/07/2025	09/08/2025	0

विदित हो कि बीमा वैध नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैध कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY
KUMAR

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
15:02:47 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-316 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

SUNIL KUMAR RAY

S-O SHIV PUJAN RAY, AT-KASBA MAKER, PO+PS-MAKER, SARAN-841301
8210836182

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR04J0211 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04J0211 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेस की वैद्यता
BR04J0211	BR2022-SC-0959A	27/04/2027	14/01/2025

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
31/08/2024	21/12/2024	03/02/2024	25/09/2025	9000

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

**SANJAY
KUMAR**

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
13:45:01 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-317 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

ASHWINI RAI U-LA BSRTC

C-O VIBHUTI NARAYAN RAI, AT-SOUTH TELHUA W NO-08, TELUA, PASHCHIM
CHAMPARAN-845459
8809454002

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR22PA4604 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22PA4604 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेस की वैद्यता
BR22PA4604	BR2022-SC-2263A	12/10/2027	12/04/2025

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.Cकी वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
29/12/2023	21/07/2025	04/07/2024	22/03/2025	146100

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY Digitally signed by
SANJAY KUMAR
KUMAR Date: 2024.09.18
13:45:32 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-318 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

VINAY KR MISHRA

S-O SATRUDAN MISHRA, AT-NETAJEE SUBHASH CHANDRA BOSE NAGAR COLONY,
GOPALGANJ-841428
8804194886

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR28P1210 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28P1210 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेस की वैद्यता
BR28P1210	BR2021-SC-0293A	21/02/2026	09/09/2025

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
19/09/2024	12/09/2024	13/09/2024	20/10/2025	0

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY KUMAR Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
13:46:32 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-319 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

MANOJ KUMAR SINGH

S-O SIYA RAGHUNANDAN SINGH, AT-CHAINPUR, MOBARAKPUR, SIWAN-841226
9973987678

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR29PA9064 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29PA9064 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेश की वैद्यता
BR29PA9064	BR2022-SC-0055A	01/07/2027	15/03/2025

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
21/11/2024	21/02/2024	19/02/2024	10/03/2025	500

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY KUMAR Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
13:46:55 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-320 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

SHASHI KUMAR

S-O LALBABU SINGH, AT+PO-BASONV, BASANTPUR, SIWAN-841226
6299463894

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR29R2025 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29R2025 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेश की वैद्यता
BR29R2025	BR-109-SC-2018-176	15/05/2028	21/08/2025

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
29/10/2024	25/08/2024	25/08/2024	21/07/2025	0

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
13:47:20 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-321 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

VISHWARANJAN SINGH

S-O BASANT KUMAR SINGH, AT-RAMPUR KALA, PO+PS-KHAIRA, SARAN-841301
8210836182

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-OR14S4974 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या OR14S4974 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेश की वैद्यता
OR14S4974	BR2022-SC-2680A	20/12/2027	26/09/2024

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
17/12/2024	18/07/2024	11/11/2023	10/09/2025	0

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY KUMAR Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
13:47:40 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-322 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

SANJIV KUMAR

S-O MUNI SINGH, AT-CHORALI BASANTPUR, SIWAN-841406
9955512838

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR01PC5582 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PC5582 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेस की वैद्यता
BR01PC5582	BR2023-SC-0277A	17/01/2028	01/05/2025

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
07/10/2024	03/03/2024	01/05/2025	19/04/2025	15500

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY Digitally signed by
SANJAY KUMAR
KUMAR Date: 2024.09.18
13:48:41 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-323 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

B.S.R.T.C

AT-PARIWAHAN BHAWAN, BEERCHAND PATEL PATH, PATNA-800001
7576910865

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR01PF7657 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PF7657 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन ठे आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेस की वैद्यता
BR01PF7657	BR-109-SC-2016-13	14/01/2021	19/06/2025

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
21/09/2024	NA	19/06/2025	19/10/2025	0

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY Digitally signed by
KUMAR SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
13:48:58 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-324 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

ABDUL SALAM

S-O HAROON RASEED, AT-TAKIYA YAKUB, GOPALGANJ-841428
8210836182

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR01PP4647 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR01PP4647 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेश की वैद्यता
BR01PP4647	BR2022-SC-2574A	05/12/2027	22/09/2024

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
11/12/2024	11/09/2025	17/09/2024	15/10/2024	0

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY KUMAR Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
13:49:15 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-325 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

AJAY KUMAR SINGH

S-O BIKAU SINGH, AT- KUNDU BHAGWANPUR, PS-PANAPUR, SARAN-841301
9122449077

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR04B6193 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04B6193 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेश की वैद्यता
BR04B6193	BR2023-SC-2217A	04/08/2028	10/10/2024

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
31/12/2024	23/11/2024	03/09/2024	07/09/2025	7000

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY Digitally signed by
KUMAR SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
13:49:33 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-326 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

SUNIL KUMAR SINGH

S-O SUDAMA SINGH, AT-SALEMPUR, PO-PANDIT KE RAMPUR, PS-BHAGWANPUR HAT,
SIWAN-841507

9835655661

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR04G1376 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04G1376 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेस की वैद्यता
BR04G1376	BR2021-SC-1804A	18/08/2026	02/11/2024

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
30/09/2024	03/02/2024	18/11/2024	18/10/2025	0

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY KUMAR Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
13:49:55 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-327 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

AJAY KUMAR SINGH

S-O BIKAL SINGH, AT-SANDHA OPPOSITE RAMACOLD STRO CHAPRA SARAN-841301
9430529137

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR04G4493 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04G4493 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेश की वैद्यता
BR04G4493	BR2023-SC-2665A	19/09/2028	17/09/2024

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
30/09/2024	19/08/2025	26/08/2024	07/09/2025	0

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY KUMAR Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
13:50:14 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-328 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

SAFIQUE AHMAD

S-O DILER AHMAD, AT-DARGAH W NO-25 PO-GOPALGANJ, GOPALGANJ-841301
9508358107

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04G5936 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04G5936 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेश की वैद्यता
BR04G5936	BR-109-SC-BUS-2019-21	15/12/2024	02/04/2025

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
29/09/2024	14/07/2024	25/02/2025	10/03/2026	0

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
13:50:30 +05'30'

KUMAR

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-329 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

RAMASHANKAR RAI

S-O RUPAN RAI, AT- MAKSUDPUR, PO-KHODAIBAG, PS-KHAIRA, SARAN-841301
9693501418

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR04J0119 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04J0119 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेस की वैद्यता	
BR04J0119	BR2022-SC-1402A	21/06/2027	09/04/2025	
टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
31/10/2024	10/06/2024	07/04/2025	14/04/2025	0

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
13:50:50 +05'30'

KUMAR

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-330 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

SADDAM HUSAIN & AKHTAR ANSARI

S-0-MANSUR ANSARI & MUKTAR ALI, AT+PO-BHAGAR, PS-SISWAN, SIWAN-841210
7739012156

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04J8022 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04J8022 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेश की वैद्यता
BR04J8022	BR2023-SC-0337A	24/01/2028	12/10/2024

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
03/12/2024	07/07/2023	30/08/2025	20/08/2025	0

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY KUMAR Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
13:51:10 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-331 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

SMT SUMAN OJHA

W-O SHREE KANT OJHA, AT+PO-SAHAJITPUR, CHAPRA SARAN-841301
9934921797

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR04K8119 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04K8119 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेश की वैद्यता
BR04K8119	BR2024-SC-1433A	06/08/2029	26/10/2024

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
25/11/2024	26/05/2025	13/09/2025	31/07/2025	0

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

**SANJAY
KUMAR**

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
13:51:28 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-332 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

JITENDRA KR SINGH

S-O-SHIV NARAYAN SINGH, AT- 97A RANA PRATAP NAGAR, KOT DEVI SHIV BAJAR,
BHAGVAN BAJAR, SARAN-841301
8210836182

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR04N6200 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04N6200 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेस की वैद्यता	
BR04N6200	BR2022-SC-2264A	13/10/2027	23/01/2025	
टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
14/11/2024	07/10/2022	06/12/2024	21/12/2025	12000

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
13:51:48 +05'30'

KUMAR

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-333 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

SHANE ALAM

S-O ABDUL GAFFAR, AT-NEAR CHOTI MASJID, DAHIYAWAN, CHAPRA SARAN-841301
9798815693

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR04PA0410 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04PA0410 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेश की वैद्यता
BR04PA0410	BR-109-SC-BUS-2019-2	11/12/2024	10/10/2025

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
05/08/2024	11/09/2024	21/12/2024	05/10/2025	2000

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

Digitally signed
by SANJAY
KUMAR
Date: 2024.09.18
13:52:05 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-334 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

SATYENDRA SINGH

S-O SHYAM NARAYAN SINGH, AT- GANAURA NAYA TOLA, PO-MARHAURA, PS-AMNAUR,
SARAN-841418

6207695979

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR04PA3732 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04PA3732 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेस की वैद्यता
BR04PA3732	BR-109-SC-BUS-2019-7	11/12/2024	06/06/2025

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
23/11/2024	07/05/2024	22/01/2025	02/06/2025	12000

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY Digitally signed
by SANJAY
KUMAR
KUMAR Date: 2024.09.18
13:52:29 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-335 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

JAYPRAKASH RAY

S-O RAM PRASAD RAY, AT+PO-DHORIAHI KAITHAL, PS-AMNOUR, SARAN-841402
8210836182

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR04Q0610 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04Q0610 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेश की वैद्यता	
BR04Q0610	BR2022-SC-2266A	13/10/2027	26/09/2024	
टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
09/11/2024	31/08/2024	30/08/2025	19/09/2025	0

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY KUMAR Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
13:52:53 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-336 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

SUMAN KUMAR SINGH

S-O SUKDEO NARAYAN SINGH, AT+PO-NARAYNPUR, VIA-AMNOUR, PS-TAIRAIYA, SARAN-

841301

9006450851

विषय:-

आपके वाहन संख्या:-BR04Q7651 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04Q7651 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेस की वैद्यता	
BR04Q7651	BR-109-SC-BUS-2019-33	27/12/2024	26/11/2024	
टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
04/10/2024	30/08/2024	17/10/2024	16/04/2025	0

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY KUMAR Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
13:53:09 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,

सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-337 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

TABASHUM KHATUN

W-O WAZID HUSAIN, AT-DHARMAPUR JAFAR SARAN-841401
9508924943

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR04Q9170 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04Q9170 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेश की वैद्यता
BR04Q9170	BR-109-SC-2019-59	05/06/2024	21/12/2025

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
26/10/2024	04/08/2024	25/07/2025	06/09/2025	14500

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
13:53:27 +05'30'

KUMAR

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-338 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

SHANE ALAM

S-O ABDUL GAFFAR, AT-NEAR CHOTI MASJID, DAHIYAWAN, CHAPRA SARAN-841301
9852206382

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR04U0786 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04U0786 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेश की वैद्यता
BR04U0786	BR-109-SC-2017-15	05/10/2027	17/08/2025

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
21/09/2024	11/09/2024	20/08/2025	20/06/2025	0

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY Digitally signed
by SANJAY
KUMAR
KUMAR Date: 2024.09.18
13:53:46 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-340 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

DHANANJAY SINGH

S-O MOGAL SINGH, AT-KARASAGHAT, PO-GHAGHA BAZAR, PS-MOHAMMADPUR,
GOPALGANJ-841423
9939862230

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR06PD0564 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06PD0564 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेस की वैद्यता	
BR06PD0564	BR2023-SC-0584A	23/02/2028	06/07/2026	
टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
29/09/2024	23/06/2025	17/08/2024	29/08/2025	136950

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
13:54:29 +05'30'

KUMAR

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-341 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

NAGINA PRASAD

S-O KAMLA PRASAD, AT+PO-AVARI, PS-MARHAURA, SARAN-841418
9771949868

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR21P0451 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR21P0451 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेस की वैद्यता
BR21P0451	BR2023-SC-1755A	20/06/2028	28/06/2025

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
06/10/2024	13/11/2024	03/11/2024	NA	0

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
13:54:49 +05'30'

KUMAR

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-342 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

ALOK KUMAR PANDEY

S-O RAMEKBAL PANDEY, AT-JAI PRAKASH NAGAR, BETTIAH, PASHCHIM CHAMPARAN-

845438

7301285252

विषय:-

आपके वाहन संख्या:-BR22P1538 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22P1538 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेस की वैद्यता
BR22P1538	BR2023-SC-1823A	27/06/2028	03/07/2025

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
31/10/2024	13/05/2025	15/09/2024	01/03/2025	0

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY Digitally signed by
SANJAY KUMAR
KUMAR Date: 2024.09.18
13:55:06 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,

सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-343 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

SITAN RAY

S-O JALESVAR RAY, AT+PO-SANRHA, PS-MUFFASIL, SARAN-841301
8804063632

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR25PA1582 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR25PA1582 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेश की वैद्यता
BR25PA1582	BR2023-SC-3459A	13/12/2028	02/04/2026

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
23/09/2024	28/08/2024	18/01/2025	04/09/2025	0

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
13:55:22 +05'30'

KUMAR

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-344 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

GOVIND KUMAR

S-O JALESHWAR RAY, AT+PO-SANDHA, PS-MUFFASIL, SARAN-841301
9657213206

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR25PA1583 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR25PA1583 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेश की वैद्यता
BR25PA1583	BR2023-SC-2203A	02/08/2028	14/04/2026

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
23/09/2024	20/12/2023	19/06/2024	19/03/2026	7000

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
13:55:39 +05'30'

KUMAR

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-345 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 06 / 2024

प्रेषित,

TABISH PARWEZ

S-O PERWEZ ALAM, AT-TAKIA YAKUBTAKIYA GOPALGANJ-841428
7979030212

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR28B9635 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28B9635 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेश की वैद्यता
BR28B9635	BR2023-SC-3456A	13/12/2028	30/07/2025

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
31/10/2024	24/08/2024	11/01/2025	30/07/2026	0

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

Digitally signed
by SANJAY
KUMAR
Date: 2024.09.18
13:55:58 +05'30'

**SANJAY
KUMAR**

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-346 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

ARVIND KUMAR YADV

S-O CHANDRAMA YADAV, AT-HARKHAULI, PO +PS-MIRGANJ, GOPALGANJ-841438
9006565564

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR28C3051 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28C3051 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेश की वैद्यता
BR28C3051	BR2023-SC-3460A	13/12/2028	02/11/2024

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
18/11/2024	10/02/2024	19/02/2025	12/10/2025	0

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

Digitally signed
by SANJAY
KUMAR
Date: 2024.09.18
13:57:20 +05'30'

**SANJAY
KUMAR**

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-347 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

ASHOK KUMAR YADAV

S-O DINANATH CHAUDHRY, AT-HARKHAULI, PS-MIRGANJ, GOPALGANJ-841426
9471099708

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR28E2399 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28E2399 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेस की वैद्यता
BR28E2399	BR2022-SC-2296A	17/10/2027	04/04/2025

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
10/10/2024	09/05/2025	04/09/2024	26/03/2025	0

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
13:57:38 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-348 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

GAUTAM YADAV

S-O SWAMINATH YADAV, AT-HARKHAULI, PO+PS-MIRGANJ, GOPALGANJ-841428
9097687288

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR28E5063 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28E5063 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेस की वैद्यता
BR28E5063	0042-2019	14/02/2024	31/01/2025

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
12/09/2024	21/01/2025	25/07/2024	30/01/2026	12000

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY Digitally signed
by SANJAY
KUMAR
KUMAR Date: 2024.09.18
13:58:04 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-349 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 06 / 2024

प्रेषित,

SHABARA KHATUN

W-O-MD MUSIAKIM ALAM, AT-101, FATEHPUR, PS-BARAULI, GOPALGANJ-841428
9546659015

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR28G5886 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28G5886 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेश की वैद्यता
BR28G5886	BR-109-SC-2016-25	24/01/2026	08/04/2025

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
02/11/2024	03/05/2023	28/12/2024	24/02/2025	0

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
13:58:23 +05'30'

KUMAR

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-350 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

MAHATAM YADAV

S-O SWAMINATH YADAV, AT-HARKHAULI, PO+PS-MIRGANJ, GOPALGANJ-841428
9939848696

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR28G9328 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28G9328 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेस की वैद्यता
BR28G9328	BR2022-SC-0082A	01/09/2027	11/01/2025

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
09/09/2024	13/09/2025	18/12/2024	25/12/2025	2500

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

**SANJAY
KUMAR**

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
13:58:43 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-351 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

CHINTU SINGH

S-O-BADASHAN SINGH, AT-SARAR AKSHAIBAR PIPRA BARAULI SARAR, GOPALGANJ-

841405

9006223479

विषय:-

आपके वाहन संख्या:-BR28P0690 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28P0690 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेस की वैद्यता
BR28P0690	BR-109-SC-2019-144	29/08/2024	27/09/2024

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
13/12/2024	13/09/2025	25/12/2024	NA	103500

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
13:59:02 +05'30'

KUMAR

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,

सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-352 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

DEEPAK KR SINGH

S-O LT SURESH SINGH, AT-DEWAPUR BARAULI, GOPALGANJ-841405
7903942031

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR28P1699 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28P1699 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेस की वैद्यता
BR28P1699	BR-109-SC-BUS-2019-23	16/12/2024	04/09/2025

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
20/02/2025	20/08/2025	31/08/2024	18/08/2025	50850

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY KUMAR Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
13:59:19 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-353 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

AJEET KUMAR TIWARI

S-O-VISNUDEV TIWARI, AT-TIWARI CHAKIYA, HUSSEPUR, BHOORE, GOPALGANJ-841426
7766865601

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR28P2084 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28P2084 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेस की वैद्यता
BR28P2084	BR2023-SC-0558A	22/02/2028	11/03/2026

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
12/09/2024	21/07/2023	22/07/2025	27/02/2026	7500

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

Digitally signed
by SANJAY
KUMAR
Date: 2024.09.18
13:59:37 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-354 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

RAMPRASAN PANDEY

S-O SUDARSHAN PANDEY, AT- NEAR MAIN ROAD, DHARAM PARSA, GOPALGANJ-841427
9931260148

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR28P3016 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28P3016 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेश की वैद्यता
BR28P3016	BR2023-SC-3031A	18/10/2028	22/09/2025

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
15/09/2024	15/09/2025	15/02/2025	NA	0

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY Digitally signed by
SANJAY KUMAR
KUMAR Date: 2024.09.18
13:59:57 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-355 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

INIT KUAMR

S-O MUNNA PRASAD, AT-HARKHAULI, PO+PS-MIRGANJ, GOPALGANJ-841438
9931478177

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR29K0146 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29K0146 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेस की वैद्यता
BR29K0146	BR2023-SC-2630A	14/09/2028	22/08/2025

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
24/10/2024	02/02/2025	14/09/2024	27/07/2025	2500

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:00:16 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-356 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

SANJEEV KUMAR

S-O-MUNI SINGH, AT+PO- CHORAUJI, PS-BHAGWANPUR HAT, SIWAN-841406
9955512838

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR29L0876 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29L0876 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेश की वैद्यता
BR29L0876	BR2021-SC-0299A	22/02/2026	01/05/2025

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
09/09/2024	16/11/2022	17/01/2025	26/05/2025	3500

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:00:51 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-357 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

DHANANJAY RAI

S-O-KAPILDEO RAI, AT-H NO-51, THEPHA SIWAN-841226

7541903131

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR29PA1675 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29PA1675 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेश की वैद्यता
BR29PA1675	BR2022-SC-1413A	22/06/2027	10/01/2025

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
28/10/2024	19/04/2023	04/02/2025	08/01/2025	15500

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY KUMAR Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:01:14 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-359 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

RAJU KUMAR

S-O GAMA YADAV, AT-SINSINIYA KACHNAR, SIWAN-841210
9006020035

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR29PA6495 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29PA6495 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेश की वैद्यता
BR29PA6495	BR-109-SC-BUS-2019-35	27/12/2024	04/10/2025

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
13/11/2024	27/02/2025	06/03/2024	10/09/2025	18000

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY KUMAR Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:01:54 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-360 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

SUNIL KUMAR DUBEY

S-O MANAN DUBEY, AT-DAKBUNGLOW ROAD, MAHADEVA, SIWAN-841226
9334359535

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR29PA8735 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29PA8735 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेश की वैद्यता
BR29PA8735	BR2020-SC-0021A	05/01/2025	02/01/2026

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
02/01/2025	01/01/2025	01/03/2024	02/01/2026	44000

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:02:14 +05'30'

KUMAR

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-361 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

SHREEKANT OJHA

S-O HARIHAR OJHA, AT+PO+PS-SHAJITPUR, SARAN-841422
9934921797

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR29PA9219 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR29PA9219 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेश की वैद्यता
BR29PA9219	BR2023-SC-3065A	29/10/2028	01/02/2025

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
14/10/2024	17/12/2024	17/01/2024	18/01/2025	21000

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:02:33 +05'30'

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक:-362 / परि.

छपरा, दिनांक-18 / 09 / 2024

प्रेषित,

VASHISHTA KR. SINGH

S-O VIRENDRA SINGH, AT-KUANRPUR, MOTIHARI, PURBI CHAMPARAN-845401
9934565005

विषय:- **आपके वाहन संख्या:-BR06P8309 का कागजात अद्यतन नहीं होने के संबंध में।**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P8309 का कागजात अद्यतन/वैद्य नहीं होने के बावजूद उक्त वाहन का अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आपके वाहन के कागजातों की वैद्यता एवं पूर्व से लम्बित जुर्माना आदि की स्थिति निम्नवत् है:-

वाहन	परमिट संख्या	परमिट की वैद्यता	फिटनेस की वैद्यता
BR06P8309	BR2023-SC-1718A	14/06/2028	27/10/2024

टैक्स की वैद्यता	बीमा की वैद्यता	P.U.C.C की वैद्यता	V.L.T.D की वैद्यता	पूर्व से लम्बित जुर्माना
12/10/2024	21/10/2024	21/11/2024	08/11/2023	0

विदित हो कि बीमा वैद्य नहीं होने की स्थिति में पीड़ितों को दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्राधिकार के सभी बैठकों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय कराने तथा वाहनों के सभी कागजात अद्यतन कराने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद आपके वाहन का कागजात अद्यतन नहीं है। बिना वैद्य कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें। साथ ही पूर्व से लम्बित जुर्माना (लम्बित होने की स्थिति में) को शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उक्त वाहन के परमिट को निलम्बित/रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

SANJAY Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2024.09.18
14:02:52 +05'30'

KUMAR

आयुक्त के सचिव

—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।